

THE JHARKHAND GAZETTE

EXTRAORDINARY PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 766

28 Aashwin, 1938 (S) Ranchi, Friday, 20th October, 2017

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION 18th October, 201**7**

NOTIFICATION No-35/2017 State Tax Rate

S.O. No. 100 - Dated 18th October, 2017-- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification No. 2/2017 vide S.O. No.32/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Jharkhand Gazette, namely:-

In the said notification,-

(A) in the Schedule,-

(i) after S. No. 122 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"122A 4907 Duty Credit Scrips";	
-------------------------------------	--

(ii) after S. No. 149 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"150	-	Supply of goods by a Government entity to
		Central Government, State Government,
		Union territory, local authority or any
		person specified by Central Government,
		State Government, Union territory or local
		authority, against consideration received

from Central Government, State
Government, Union territory or local
authority in the form of grants";

- (B) in the Explanation, after clause (iv), the following clause shall be inserted, namely:-
 - "(v) The phrase "Government Entity" shall mean an authority or a board or any other body including a society, trust, corporation, which is:
 - (a) set up by an Act of Parliament or State Legislature; or
 - (b) established by any Government,

with 90 percent or more participation by way of equity or control, to carry out a function entrusted by the Central Government, State government, Union territory or a local authority.".

2. This notification shall be deemed to be effective from 13th October, 2017.

[File.No Va Kar / GST / 04/ 2017] By the order of the Governor of Jharkhand

K. K. Khandelwal,

Principal Secretary-cum Commissioner.

Note: -The principal notification No. 2/2017 was published in the Jharkhand Gazette, *vide* S.O No. 32/2017 - State Tax(Rate), dated the 29^{th} June, 2017, and was last amended by S.O No. 92/2017-State Tax (Rate)dated the 13^{th} October, 2017.

वाणिज्य-कर विभाग

_

अधिसूचना 18 अक्टूबर, 2017

अधिसूचना सं0. 35/2017- राज्य कर (दर)

एस॰ ओ॰ 100 - दिनांक 20 अक्टूबर, 2017-- झारखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम ,2017)2017 का 12) की धारा) की उपधारा 111 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (राज्य सरकार, परिषद की सिफारिश पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एस॰ ओ॰ 32 दिनांक 29 जून, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित, झारखण्ड सरकार की अधिसूचना सं॰. 02/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017 में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,

सारणी (क) में और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात 122 क्रम संख्या ,निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगाअर्थात् ,:-

"122 क 4907	ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स"
-------------	---------------------------

)iiस्थापित :त प्रविष्टियों को निम्नलिखित को अंतऔर उससे संबंधि 149 क्रम संख्या (किया जाएगा, अर्थात्-:

"150	-	केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय
		निकाय, जैसी भी स्थिति हो, से अनुदान के रूप में प्राप्त
		प्रतिफल के एवज में, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ
		राज्य क्षेत्र, स्थानीय निकाय या ऐसे किसी व्यक्ति, जिसे
		केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या
		स्थानीय निकाय द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो, को
		किसी सरकारी निकाय द्वारा की जाने वाली वस्तुओं की
		आपूर्ति।"

स्पष्टीकरण में (ख), खंड)ivके बाद निम्नलिखित खंड अंतस्थापित किया जाएगा (, अर्थात् -:

")v वाक्य ("सरकारी निकाय" से अभिप्राय किसी ऐसे प्राधिकरण या बोर्ड या अन्य किसी निकाय जिसमें सोसायटी, ट्रस्ट निगम भी आते हैं, जोकि;

- (क) संसद या राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम
- (ख)किसी सरकार द्वारा किया गया

और जिसमें साम्या या नियंत्रण के माध्यम से प्रतिशत या इससे अधिक की 90 भागीदारी हो और जिसका काम केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण के द्वारा सौंपे गए कार्यों को पूरा करना है।"

2. यह अधिसूचना 13 अक्टूबर, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

[सं.सं .वा॰कर/जी॰एस॰टी॰/04/2017] झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

> के॰ के॰ खण्डेलवाल , प्रधान सचिव-सह-आयुक्त ।

नोट: - मूल अधिसूचना, झारखंड के राजपत्र, अधिसूचना एस०ओ० 32, दिनांक 29 जून, 2017 को प्रकाशित हुई थी एवं पिछली बार उस में संशोधन अधिसूचना एस०ओ० 92 दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 के अनुसार हुआ था ।
